नम्बर व
जो इस न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
में अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार / कैम्प कोर्ट खोह
अधिकारी :– *श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.*

/11

तारीख रजू 25.03.2011 तारीख निर्णय 17.05.2018

उनवान

छज्जू पुत्र श्री मेडू (मृतक)
1/1 फूलसिंह पुत्र छज्जू
1/2 हरबन पुत्र छज्जू
1/3 पायलेट पुत्र छज्जू जाति गुर्जर निवासी वारिसपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।
..................वादी

बनाम

छीथा पुत्र भुल्लू जाति कुम्हार निवासी वारिसपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।
नबल पुत्र भुल्लू जाति कुम्हार निवासी वारिसपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।
राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर
.... प्रतिवादीगण
4. छोटेलाल पुत्र लल्लू कुम्हार निवासी वारिसपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।
तर0 प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी गत खसरा नम्बर 46 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 230 रकबा 0.31, 231 रकबा 0.30 हैक्ट0 वाके ग्राम खोह तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी मुतनाजा के 1/2 भाग पर मिन वादी अपने बुजुर्गो के समय 50 साल से काबिज दाखिल रहकर काश्त करता चला आ रहा है। जिसका वादी बतौर शिकमी काश्तकार भी हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादीगण कभी भी वादग्रस्त आराजी पर काबिज दाखिल नही रहे है जो गैरवास्ता वो गैरकाबिज शख्स है। चूंकि मिन वादी का उक्त आराजी मुतनाजा पर अपने बुजुर्गो के समय से बहैसियत शिकमी काश्तकार के रूप में काबिज दाखिल चला आ रहा है। इसलिए धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी को उक्त आराजी मुतनाजा की बाबत खातेदारी अधिकार प्रोतभूत हो चुके है कि जिनकी वादी घोषणा कराने का अधिकारी है। मिन वादी प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पास गया और अपने नाम को कलमजन कराकर मिन वादी के नाम राजस्व अभिलेख में दरामद कराने के लिए कहा जिस पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 इन्कारी हो गये और वादी को धमकी दी की वह हाल राजस्व अभिलेख के आधार पर प्रश्नगत आराजीयात को रहन, बैय मुन्तकिल कर देगे और वादी को कार्य काश्त नही करने देंगे जिस पर मिन वादी

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

वादी तहसीलदार साहब, रामगढ के पास दिनांक 26.02.2011 को गया और मिन वादी के प्रश्नगत आराजीयात की बाबत शिकमी काश्तकार होने से 1/2 हिस्सा राजस्व अभिलेख में खातेदार दरामद करने व पूर्व गैरखातेदारों के नाम कलमजन करने हेतु निवेदन किया। पर प्रतिवादी कतई इन्कार हो गया और सक्षम न्यायालय से अहकाम जारी करने के लिए

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री घोषणात्मक व दुरूस्ती राज इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि प्रश्नगत आराजी गत खसरा नम्बर 46 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 230 रकबा 0.31, 231 रकबा 0.30 हैक्ट0 वाके ग्राम खोह तहसील रामगढ जिला अलवर के 1/2 हिस्सा का वादी शिकमी काश्तकार होने से मिन वादी को खातेदार घोषित कर राजस्व अभिलेख में खातेदार दरामद करने हेतु व प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम कलमजन करने हेतु अहकाम जारी किया जावें। प्रतिवादी सं0 1 व 2 को इस कदर पाबन्द किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा नही करे मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर विधिवत् तामिल बावजूद न्यायालय में उपस्थित नही हुए। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी ने दावे के समर्थन में हाल जमाबन्दी सम्वत 2064–67, जमाबन्दी सम्वत 2024, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058, इकरारनामा की प्रति पेश की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट / शिविर ग्राम पंचायत खोह में दिनांक 17.05.2018 को पेश हुई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2024 में भुल्लू वगैराह मुन्दर्जे खाता नम्बर 98 मारफत झूंथा भम्बल पिसरान भुल्लू समान भाग निस्फ छज्जू पुत्र किशनलाल निस्फ कौम कुम्हार सा0 वारिसपुर मजारा शिकमी दर्ज रिकार्ड है। तथा जमाबन्दी सम्वत 2064–67 में खाता सं0 244 में झूंथा, भम्बल पिता भुल्लू 1/2 हिस्सा, छोटेलाल पुत्र लल्लू 1/2 हिस्सा कुम्हार सा0 देह गैरखातेदार साल 37 मारफत झूंथा, भम्बल पिता भुल्लू समभाग 1/2 हिस्सा छज्जू पुत्र किशनलाल 1/2 हिस्सा कुम्हार सा0 वारिसपुर मजारा शिकमी दर्ज रिकार्ड है। तथा इकरारनामा दिनांक 05.07.

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

1986 का झूंथा भम्बल ने छज्जू पुत्र मेडू गुर्जर को किया। विवादित आराजी मुतनाजा के नाम पर वादी अपने बुजुर्गो के समय 50 साल से काबिज दाखिल रहकर काश्त करता आ रहा है। जिसका वादी बतौर शिकमी काश्तकार भी हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ादीगण कभी भी वादग्रस्त आराजी पर काबिज दाखिल नही रहे है जो गैरवास्ता वो काबिज शख्स है। वादी को धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार वादग्रस्त आराजीयात की बाबत प्रोतभूत हो चुके है। वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी गत खसरा नम्बर 46 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 230 रकबा 0.31, 231 रकबा 0.30 हेक्टर वाके ग्राम खोह तहसील रामगढ जिला अलवर के 1/2 हिस्सा का वादी शिकमी काश्तकार होने से झूंथा, भम्बल पिता भुल्लू कुम्हार को कलमजन कर उसके स्थान पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम खातेदार काश्तकार दर्ज करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट खोह में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
...न अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट खोह
...न अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

	तारीख रजू	तारीख निर्णय
...6 /11	25.03.2011	17.05.2018

उनवान

1. छज्जू पुत्र श्री मेडू (मृतक)
   1/1 फूलसिंह पुत्र श्री छज्जू
   1/2 हरबन पुत्र श्री छज्जू
   1/3 पायलेट पुत्र छज्जू जाति गुर्जर निवासी वारिसपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।
   ....वादी

बनाम

1. झूंथा पुत्र भुल्लू जाति कुम्हार निवासी वारिसपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।
2. भम्बल पुत्र भुल्लू जाति कुम्हार निवासी वारिसपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।
3. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर
   .... प्रतिवादीगण
4. छोटेलाल पुत्र लल्लू कुम्हार निवासी वारिसपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।
   ....तर0 प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी गत खसरा नम्बर 46 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 230 रकबा 0.31, 231 रकबा 0.30 हैक्ट0 वाके ग्राम खोह तहसील रामगढ जिला अलवर के 1/2 हिस्सा का वादी शिकमी काश्तकार होने से झूंथा भम्बल पिता भुल्लू कुम्हार को कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम खातेदार काश्तकार दर्ज करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

मुतनाजा के नाम से सम्बोधित की जावेगी ।